प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 12 अगस्त, 2015**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अनुरक्षण कार्यों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 13 परफॉरमेन्स इण्डीकेटर्स के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक-775/टी-194(7)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015, दिनांक-08.07.2015वपत्रांक-864/टी-194(7)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015,दिनांक- 21.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यकारिणी समिति उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की दिनांक-16.07.2015 को आहूत बैठक में अनुरक्षण कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान की प्रकिया को तथा भुगतान योग्य धनराशि के आकलन को तर्क संगत बनाने के लिए एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा निर्धारित परफॉरमेन्स इण्डीकेटर्स का उनके अनुरक्षण कार्यों के सम्बन्ध में महत्व व आवश्यकता को देखते हुये तुलनात्मक वेटेज (Relative Weightages) के निर्धारण पर एवं इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित तुलनात्मक वेटेज (Relative Weightages) पर सहमति प्रदान की गयी। उक्त के आलोक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु एन0आर0आर0डी0ए0/ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 परफॉरमेन्स इण्डीकेटर्स का तुलनात्मक वेटेज (Relative Weightages) आकलित करके इसके सूची की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित ठेकेदार फर्म को भुगतान की अनुपातिक अनुमन्यता दिये जाने पर शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(1)- ठेकेदार द्वारा 13 परफॉरमेन्स इण्डीकेटर्स में प्रत्येक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा समेकित रूप से कम से कम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने अनिवार्य होंगे। उकत से कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जायेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 13 परफॉरमेन्स इण्डीकेटर्स में से यदि कोई इण्डीकेटर्स किसी कार्य या मार्ग पर/प्रदेश में प्रभावी नहीं है, तो एकल अथवा समेकित प्राप्त अंको की गणना में उक्त इण्डीकेटर के लिये निर्धारित वेटेज (Weightages) को पूर्णांक में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)- एकल इण्डीकेटर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा समेकित रूप से 80-100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की दशा में अनुमन्य धनराशि का आनुपातिक भुगतान ठेकेदार को देय होगा।

(3)- दो लगातार निरीक्षणों में 80 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने की दशा में ठेकेदार को 15 दिन में अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया जायेगा तथा उक्त अवधि में भी कार्य पूर्ण न करने की दशा में अनुबन्ध को निरस्त करने तथा बैंक गारण्टी भुनाने की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही कराने तथा एस0बी0डी0 में तदानुसार उपर्युक्त प्राविधान अनुलग्नक के रूप में सम्मिलित कराने का कष्ट करें, जैसाकि अन्य प्रदेशों में किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 35/2015 पी-634 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, (पीएमजीएसवाई) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 ।
5- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ। ,
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त अधिशासी अभियन्ता (पी0आई0यूज0) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उ0प्र0।
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 35/2015/पी-634/अड़तीस-9-2015-87(पीएमजीएसवाई) /2008, दिनांक- 12 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

Determination of Relative weightages of different performance indicators concerning maintenance of PMGSY works

SI. No.	Name of Item/Activity	Frequency of operation in one year	Proposed weightage
1.	Restoration of rain cuts and dressing of berms as per clause 1902 of the Specifications.	Once generally after rains (In case of areas having rainfall more than 1500 mm per year, as and when required).	10
2.	Making up of shoulders as per clause 1903 of the Specifications	As and when required.	20
3.	Maintenance of Bituminous surface road and/or gravel road and/or WBM road including filling pot holes and patch repairs etc as per clause 1904, 1905 and 1906 of the Specifications.	As and when required	50
4.	Maintenance of drains as per clause 1907 of the Specifications.	Twice (In case of hill roads as and when required)	3
5.	Maintenance of culverts and causeways as per clause 1908 and 1909 of the Specifications.	Twice (In case of hill roads as and when required.)	5
6.	Maintenance of road signs as per clause 1910 of the Specifications.	Maintenance as and when required. Repainting once in every two years.	5
7.	Maintenance of guard rails and parapet rails as per clause 1911 of the Speicifcations.	Maintenance as and when required. Repainting once in a year.	2
8.	Maintenance of 200 m and kilo Meter stones as per clause 1912 of the Specifications	Maintenance as and when required. Repainting once in a year.	2
9.	White washing guard stones	Twice	2
10.	Re-fixing displaced guard stones	Once	2
11.	White washing parapets of C.D. works	Once	2
12.	Cutting of branches of trees, shrubs and trimming of grass and weeds etc as per clause 1914 of the Specifications	Once generally after rains (In case of areas having rainfall more than 1500 mm per year, as and when required).	3
13	Repair of old joints sealant (CC joints) as in	Maintenane as and when required	3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।